संख्या-216/2015/1764/71-1-2015-जी-343/2013

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 15 दिसम्बर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों लिए क्रय किये जाने वाले उपकरणों के भुगतान हेतु पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2015/1792, दिनॉक 10-07-2015 तथा पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2015/1848, दिनॉक 06-08-2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में राजकीय मेडिकल कालेजों में उपकरणों के लिए विभिन्न शासनादेशों के द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 15,50,00,000/- (रू0 पन्द्रह करोड़ पचास लाख मात्र), जो शासनादेश संख्या-450/26-ब0प्र0-2014-जी-343/2013, दिनॉक 31-03-2014 के द्वारा वित्त अधिकारी सी0एस0एम0 चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रक्षित की गयी है, में से अवशेष बची धनराशि रू0 3,45,93,464/-, जिसकी उपयोगिता अवधि शासनादेश दिनॉक 29-10-2015 द्वारा दिनॉक 31-12-2015 तक बढ़ायी गयी है, में से रू0 69,34,390/- (रू0 उनहत्तर लाख चौतीस हजार तीन सौ नब्बे मात्र) को संलग्न विवरणानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि को पी0एल0ए0 से आहरित करने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उपकरणों के क्रय के संबंध में समस्त वित्तीय नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही नि यमानुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा सम्पूर्ण भुगतान की धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे चालान द्वारा राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-450/26-ब0प्र0-2014-जी-343/2013, दिनॉक 31-03-2014 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी0 संख्या-ई-3-1594/दस-2015, दिनॉक 09 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 216/2015/1764(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर तथा सहारनपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर तथा सहारनपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कोषागार, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर तथा सहारनपुर।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों को स्वीकृत की गयी धनराशि में से वित्त अधिकारी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0 15,50,00,000/- में से आहरित कर व्यय की जाने वाली धनराशि रू0 69,34,390/- का विवरण:-

---

क्र0	मेडिकल कालेज/ संस्थान का नाम	उपकरणों हेतु गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि का शासनादेश/दिनॉक (शासनादेश संख्या-450/26-ब0प्र0-2014-जी-343/ 2013, दिनॉक 31-03-2014 के द्वारा पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0 15,50,00,000/- के अन्तर्गत)	उपकरणों के सीधे क्रय की अनुमति दिये जाने वाली धनराशि जिसे पी0एल0ए0 से आहरित किया जाना है।
1-	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	शासनादेश संख्या-91/26-ब0प्र0-2014-जी-343/2013 दिनॉक 14-02-2014 के उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 8.50 करोड़	रू0 58,23,312.00
2-	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	शासनादेश संख्या-170/26-ब0प्र0-2014-जी-347/2013 दिनॉक 27-02-2014 के उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 7.00 करोड़	रू0 11,11,078.00
		योग:-	रू0 69,34,390.00

कुल योग:- 69,34,390.00

(रू0 उनहत्तर लाख चौतीस हजार तीन सौ नब्बे मात्र)

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।